

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष-2550488,2550446,2553305,2551282 फ़ैक्स-0755-2555162

E-mail : chiefelectoralofficermpp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 56/2015/चार/ 3719

भोपाल, दिनांक

24.3.18

प्रति,

कलेक्टर एवं

जिला निर्वाचन अधिकारी

समस्त मध्यप्रदेश

विषय: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत राजनैतिक दल "भारतीय सामाजिक एकता पार्टी" के संबंध में।


संदर्भ: भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 56/281/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-I/2017

Dated 15-03-2018

उपरोक्त विषयक आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 15-03-2018 की छाया प्रति संलग्न हैं जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा " भारतीय सामाजिक एकता पार्टी" पता- 16, ग्राम-नंदोरा, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन, म.प्र.-464990 को राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत करने बाबत सूचित किया है।

कृपया राजनैतिक दलों की सूची तदनुसार अद्यतन करने का कष्ट करें तथा रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को भी अवगत करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(एस.एस.बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24.03.18

पृ.क्र. 56/2015/चार/ 3720

प्रतिलिपि :-

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक 56/281/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-I/2017 Dated 15-03-2018 के संबंध में सूचनार्थ।
2. रिटर्निंग आफिसर, समस्त विधानसभा क्षेत्र, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव, भारतीय सामाजिक एकता पार्टी, पता- 16, ग्राम-नंदोरा, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन, म.प्र.-464990 की ओर प्रेषित कर लेख है कि आयोग के संलग्न निर्देश क्र. 76/EE/GE/2014/PPEMS दिनांक 22 अक्टूबर 2014 के प्रकाश में प्रतिवर्ष जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल को (अर्थात इस कार्यालय) को भेजे।

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रायसेन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ। कृपया प्रतिवर्ष सचिव/अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक प्रकृता पार्टी से प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर भिजवाने की पाबंदी करें। आपके जिले की सूची अद्यतन करें।
6. श्री राहुल वाघमारे, प्रोग्रामर, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया आयोग के पत्र दिनांक 15-03-2018 द्वारा पंजीकृत राजनैतिक दल को वेबसाइट पर अपलोड करें।

(एस.एस.बंसल) 13.18.

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

BY SPEED POST

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

F. No. 56/281/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-I/2017 / 493

Dated: 15th March, 2018

To

The President,
Bhartiya Samajik Ekta Party,
16, Village- Nandora,
Tehsil- Goharganj,
District- Raisen,
Madhya Pradesh- 464990.

Subject: - **“Bhartiya Samajik Ekta Party”** – Registration under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, as a political party – Regarding.

Sir,

I am directed to state that the Election Commission of India, after having considered your application dated 13.07.2017 for registration of **“Bhartiya Samajik Ekta Party”** as a political party and the documents produced in support of the statements/averments made/contained in the said application and the submissions made by authorized representative(s) of the party before the Commission on 07.03.2018 in respect of the said application and having noted that no objection has been filed by anyone to the registration of the Party under the said name in response to the Public Notice published by the applicant in the newspapers, has registered the **“Bhartiya Samajik Ekta Party”** as a political party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 on and with effect from 07.03.2018.

2. The Registration Number of your party is 56/281/2017-18/PPS-I.

3. As provided in sub-Section (9) of Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, the party shall communicate to the Commission without delay any change in its name, head office, office-bearers, address or in any other material matters. The communication of such changes shall be accompanied by the following:

- (i) An authenticated copy of the resolution passed by the competent body prescribed in the party constitution and the full proceedings of the meeting at which the decision of such changes is taken.
- (ii) Names of the office-bearers attending the said meeting.
- (iii) An attested copy of the extract of attendance register bearing signature of participating members in the said meeting.

Tel : 011-23052205-18, Fax : 011- 23052223-25, Website : www.eci.nic.in

“कोई मतदाता न छूटे”

“No Voter to be left behind”

4. It may be noted that the registration will not entitle the party to the reservation of any exclusive symbol for it. The candidates duly set up by the party at an election will be entitled to benefits of preference in allotment of free symbols over independent candidates under paragraph 12 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968. However, under the provisions of paragraph 10B of the Symbols Order, the candidates set up by a registered un-recognized political party contesting from a minimum of 5% of the seats, at a general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol from the list of free symbols, provided the Party fulfills each of conditions mentioned in the said Para 10B.

5. As per the provisions of Section 29B and 29C of the Representation of the People Act, 1951 (dealing with contribution to political parties) the party is required to submit to the Commission, a report of contribution received in excess of Rs. 20,000/- in a financial year, in the format in Form 24A appended to the Conduct of Elections Rules, 1961. In such report, the party has to mention the Permanent Account Number (PAN) of the party. Therefore, you are advised to obtain Permanent Account Number (PAN) in respect of the party and inform the details of the same to the Commission within six months of the registration.

6. It is also informed that the Commission, while registering a political party, does not approve the flags of political parties, and if the party has a flag, it shall be the own responsibility of the party to ensure that the flag does not violate the provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 or the flag Code of India or any other relevant law related to the subject, and that its flag does not imitate in any manner the flag of any other political party.

Yours faithfully,


(PRAMOD KUMAR SHARMA)
SECRETARY

F. No. 56/281/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-I/2017

Dated: 15th March, 2018

Copy to:

- ✓ (i) The Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh, Bhopal.
- (ii) The State Election Commissioner, State Election Commission Madhya Pradesh, 58, Arerra Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.
- (iii) Political Party Section-III
- (iv) Guard File.


(PRAMOD KUMAR SHARMA)
SECRETARY



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India



निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

फा0 सं0- 56/281/एलईटी/ईसीआई/एफयूएनसी/पीपी/पीपीएस-1/2017

दिनांक: 15 मार्च, 2018

21 MAR 2018

सेवा में,

अध्यक्ष,

भारतीय सामाजिक एकता पार्टी,

16, ग्राम- नंदोरा,

तहसील- गोहरगंज, जिला- रायसेन,

मध्य प्रदेश- 464990.

804
शुभ कृपज्ञ
21-3

विषय: "भारतीय सामाजिक एकता पार्टी"- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने "भारतीय सामाजिक एकता पार्टी" का राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के लिए आपके दिनांक 13.07.2017 के आवेदन और उक्त आवेदन-पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में दिनांक 07.03.2018 को आयोग के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन "भारतीय सामाजिक एकता पार्टी" को दिनांक 07.03.2018 से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

2. आपके दल की पंजीकरण संख्या 56/281/2017-18/रा0द0अनु0-1 है।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा। इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी:-


- दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत्त जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
- उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
- उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण दल को किसी अन्य चिन्ह को आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन निर्वाचन में दल द्वारा विधिवत रूप से खड़े किए गये अभ्यर्थी, मुक्त प्रतीकों के आवंटन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के उपर वरीयता का लाभ पाने के पात्र होंगे। तथापि, प्रतीक आदेश के पैरा 10 ख के प्रावधानों के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 5% सीटों से चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गये अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि पार्टी उक्त पैरा 10 ख में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो।

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अन्तर्गत (राजनैतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वित्तीय वर्ष में ₹0 20,000/- से अधिक प्राप्त सदान/अंशदान के बारे में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्रारूप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल की स्थायी खाता संख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।

6. यह भी सूचित किया जाता है कि किसी राजनैतिक दल का पंजीकरण करते समय आयोग राजनैतिक दलों के ध्वजों को अनुमोदित नहीं करता है और यदि दल का अपना ध्वज है तो यह उस दल की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 या भारत के फ्लैग कोड अथवा इस विषय से संबंधित अन्य किसी सुसंगत विधि के उपबंधों का उल्लंघन न करे और यह भी कि उसका ध्वज किसी अन्य राजनैतिक दल के ध्वज का किसी भी प्रकार से अनुकरण न करे।

भवदीय,


(प्रमोद कुमार शर्मा)


सचिव

फा0 सं0- 56/281/एलईटी/ईसीआई/एफयूएनसी/पीपी/पीपीएस-1/2017

दिनांक: 15 मार्च, 2018

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल।
3. राजनैतिक दल अनुभाग-111
4. गार्ड फाईल।


(प्रमोद कुमार शर्मा)

सचिव